निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2022

संदर्भ: निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई।

निष्कर्ष और मुख्य बातें

- तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सहित तटीय राज्यों ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद गोवा, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और पुडुचेरी हैं, जबकि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर शीर्ष पांच स्थानों पर हैं।
- निर्यात नीति पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों के परिणामस्वरूप निर्यात प्रोत्साहन नीतियों और जिला-स्तरीय निर्यात कार्य योजनाओं का निर्माण हुआ है।
- प्रगति के बावजूद, कई राज्यों को अपने निर्यात प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापार और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले राज्य में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं, जबकि लक्षद्वीप सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है।
- रिपोर्ट राज्य सरकारों को संदर्भ-विशिष्ट समाधानों के साथ विशिष्ट निर्यात चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- रिपोर्ट राज्य सरकारों को सलाह देती है कि वे अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करें और अपने क्षेत्रों के लिए अद्वितीय उत्पादों को प्राथमिकता दें।
- रिपोर्ट का उद्देश्य देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

ईपीआई के बारे में

- ईपीआई भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का आकलन करने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- निर्यात किसी राष्ट्र के भीतर आर्थिक वृद्धि और विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक हो जाता है।

Category	Top Performers
Overall	Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka
Hilly/Himalayan States	Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Sikkim, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram
Landlocked Regions	Haryana, Telangana, Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan
Union Territories/Small States	Goa, Jammu and Kashmir, Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Ladakh

- गहन विश्लेषण के माध्यम से, सूचकांक विभिन्न निर्यात-संबंधित मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है, जिसका उद्देश्य उनकी संबंधित शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना है।
- **स्तंभ:**
  - **व्यापार नीति**: इससे निर्यात और आयात के लिए रणनीतिक दिशा निर्धारित होती है।
  - **बिजनेस इकोसिस्टम**:यह निवेश आकर्षित करता है और स्टार्ट-अप का समर्थन करता है।
  - **निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र**: यह निर्यात-विशिष्ट व्यावसायिक वातावरण का मूल्यांकन करता है।
  - **निर्यात प्रदर्शन**:यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्यात प्रदर्शन को मापता है।
- **सूचकांक में 10 उप-स्तंभों को भी शामिल किया गया है:** निर्यात संवर्धन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; निर्यात अवसंरचना; व्यापार समर्थन; अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना; निर्यात विविधीकरण; और विकास उन्मुखीकरण।

महत्वपूर्ण बिंदु

- तटीय राज्य सभी संकेतकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, शीर्ष में से छह राज्य तटीय क्षेत्रों से आते हैं।
- तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात कम से कम एक स्तंभ में उत्कृष्ट हैं।
- इन राज्यों का नीति पारिस्थितिकी तंत्र सकारात्मक है, राज्य निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय अपना रहे हैं।

- 73% जिलों के पास निर्यात कार्य योजना है; 99% से अधिक 'एक जिला एक उत्पाद' योजना का हिस्सा हैं।
- भूमि से घिरे क्षेत्रों में परिवहन कनेक्टिविटी पिछड़ गई है, जिससे माल परिवहन प्रभावित हो रहा है।
- अनुसंधान एवं विकास निवेश कम है, जिससे निर्यात नवाचार में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- संघर्षरत उद्योगों के लिए निरंतर राज्य के समर्थन की आवश्यकता।
- 26 राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में कमी देखी गई है।
- 10 राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में गिरावट का अनुभव हुआ है।
- क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं की कमी वैश्विक बाजार में प्रवेश में बाधा डालती है; 25 राज्य प्रति वर्ष 10 से कम कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
- सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के लिए समय पर परियोजना अनुमोदन महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए नए दिशानिर्देश

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।
- ये दिशानिर्देश वर्तमान 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदनाम दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग करने वाले एक वाद के जवाब में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के नवीनतम निर्णय के पश्चात जारी किए गए थे।
- पीठ ने उन दिशानिर्देशों को संशोधित किया जो मूल रूप से 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे।
- 2018 के दिशानिर्देश 2017 में इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघवाद में एक फैसले के बाद स्थापित किए गए थे।

इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघवाद , 2017

- अक्टूबर 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पदनाम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता के लिए इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका के जवाब में "वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम प्रदान करने को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए थे।
- न्यायपालिका ने दिशानिर्देशों में आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, गुप्त मतदान के उपयोग को हतोत्साहित किया था।
- न्यायपालिका ने पदनाम प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक **"स्थायी समिति"** और एक **"स्थायी सचिवालय"** की स्थापना को अनिवार्य किया था।
- **स्थायी सचिवालय:**
    - यह रिपोर्ट किए गए और असूचित निर्णयों पर प्रासंगिक डेटा और जानकारी सहित सभी पदनाम आवेदन प्राप्त करने एवं संकलित करने के लिए जिम्मेदार है।
    - यह हितधारकों से सुझाव और विचार आमंत्रित करते हुए, न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पदनाम के लिए प्रस्ताव प्रकाशित करता है।
    - यह प्रस्तावों को मूल्यांकन और जांच के लिए स्थायी समिति को अग्रेषित करता है।

- **स्थायी समिति**:
    - यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता में कार्य करता है।
    - इसमें सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल और अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा नामित एक "बार सदस्य" शामिल होता है।
    - इसकी द्विवार्षिक बैठकें आयोजितकी जाती हैं।
    - यह उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार आयोजित करता है और एक बिंदु प्रणाली (point system) का उपयोग करके उनका मूल्यांकन करता है जो एक वकील, जिला न्यायाधीश, या भारतीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में वर्षों के अभ्यास, नि:शुल्क कार्य, निर्णय, प्रकाशन और एक व्यक्तित्व परीक्षण पर विचार करता है।

- उम्मीदवार का नाम, एक बार समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद, पदनाम पर बहुमत के निर्णय के लिए पूर्ण न्यायालय को भेज दिया जाता है।
- पूर्ण न्यायालय के पास वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम को वापस लेने का भी अधिकार है।

दिशानिर्देश क्यों बदले जा रहे हैं?

- फरवरी 2023 में, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वकीलों को नामित करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो 2017 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे।
- 2017 के दिशानिर्देशों में एक बिंदु-आधारित प्रणाली का उपयोग किया गया था, जहां साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यांकन किए गए प्रकाशनों, व्यक्तित्व परिक्षण और उपयुक्तता को 40% महत्व दिया गया था।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि यह प्रणाली व्यक्तिपरक व अप्रभावी है और पदनाम से जुड़े पारंपरिक सम्मान और गरिमा को कम करती है।

क्या हैं नये दिशानिर्देश?

- 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदनाम के लिए नए दिशानिर्देशों ने आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की हैं। हालाँकि, इस आयु सीमा में स्थायी समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा छूट दी जा सकती है।
- पिछले दिशानिर्देशों में प्रकाशनों के लिए 15 अंक आवंटित किए गए थे, जबकि नए दिशानिर्देश अब "शैक्षणिक लेखों के प्रकाशन, कानून के क्षेत्र में शिक्षण कार्यों के अनुभव" और "विधि स्कूलों में दिए गए अतिथि व्याख्यान" के संयोजन के लिए अब केवल 5 अंक निर्धारित हैं।
- 2023 दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि सीजेआई, "सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश" के साथ, लिखित रूप में पदनाम के लिए एक वकील के नाम की सिफारिश कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, नए दिशानिर्देशों में रिपोर्ट किए गए और गैर-रिपोर्ट किए गए निर्णयों (किसी भी कानूनी सिद्धांत को स्थापित नहीं करने वाले आदेशों को छोड़कर) के लिए वेटेज 40 से बढ़ाकर 50 अंक कर दिया गया है।

क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF)

संदर्भ: यूरोप इस समय ग्रीष्म लहर और जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसके कारण वायरल रक्तस्रावी बुखार के संभावित प्रसार के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं, यह बीमारी आमतौर पर ठंडी जलवायु में नहीं पाई जाती है।

- क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार एक वायरल बीमारी है जो टिक्स द्वारा प्रसारित होती है।
- यह वायरस जानवरों के वध के दौरान या उसके बाद विषाणु जानवरों के ऊतकों के संपर्क में आने से भी मनुष्यों में फैल सकता है।
- यह बीमारी सबसे पहले 1944 में काला सागर के पास क्रीमिया प्रायद्वीप में सैनिकों में पाई गई थी।
- 1969 में, कांगो बेसिन में एक ऐसी ही बीमारी एक रोगज़नक़ के कारण पाई गई थी , जिसके कारण इसे क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार नाम दिया गया।
- क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार का प्रकोप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है क्योंकि इसमें महामारी पैदा करने की क्षमता है और इसका मृत्यु अनुपात, 10% से 40% तक है।
- **संचारण(Transmission):**
  - यह वायरस मवेशियों, बकरियों, भेड़ों और खरगोशों जैसे जानवरों में पाया पाता है।
  - मनुष्य संक्रमित किलनी या जानवरों के रक्त के संपर्क में आने से इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं।
  - मनुष्यों के बीच संचरण संक्रामक रक्त या पसीने और लार जैसे शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क के माध्यम से संभव है।
  - प्रवासी पक्षी वायरस ले जाने वाले किलनी के लिए मेजबान के रूप में भी काम कर सकते हैं।

Family of viruses	Vectors	Name of viral hemorrhagic fever
Bunyaviridae	Mosquito	Rift valley fever
	Tick	Crimean-congo hemorrhagic fever
	Rodent	Hantavirus fever
Flaviviridae	Mosquito	Dengue fever, yellow fever
	Tick	Omsk fever, kyasanur forest disease
Arenaviridae	Rodent	Lujo virus fever, lassa fever, argentine fever, bolivian fever, venezuelan fever
Filoviridae	Bat	Ebola hemorrhagic fever, marburg hemorrhagic fever

➤ **लक्षण**:

- बुखार
- मांसपेशियों में दर्द
- चक्कर आना
- गर्दन में दर्द और पीठ दर्द
- सिरदर्द
- आँखों में जलन
- प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता
- 2 से 4 दिनों के बाद, उत्तेजना का स्थान निम्न द्वारा लिया जा सकता है:
  - तंद्रा
  - अवसाद
  - आलस्य

➤ **इलाज**

- मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- उपचार मुख्य रूप से लक्षणों के प्रबंधन पर केंद्रित है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रिबाविरिन का उपयोग किया जा सकता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

रुद्रगिरि पहाड़ी

संदर्भ: हाल ही में, आंध्र प्रदेश में रुद्रगिरि पहाड़ी ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक अतीत और उल्लेखनीय पुरातात्विक स्मारकों के लिए ध्यान आकर्षित किया है।

ऐतिहासिक महत्व: यह स्थल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक अतीत और उल्लेखनीय पुरातात्विक स्मारकों को समेटे हुए है।

कलात्मकता: इसमें मध्यपाषाण युग (लगभग 5000 ईसा पूर्व) की प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग और काकतीय राजवंश (13 वीं शताब्दी ईस्वी) की उत्कृष्ट कलाकृतियां शामिल हैं।

शैलाश्रय: रुद्रगिरि में पश्चिम की ओर पांच प्राकृतिक रूप से बने शैलाश्रय हैं, जो मध्यपाषाण युग के दौरान रहने के लिए आवास के रूप में उपयोग किए जाते थे।

काकतीय भित्ति चित्र: पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर दो प्राकृतिक गुफाओं में काकतीय साम्राज्य के असाधारण भित्ति चित्र प्रदर्शित हैं, जो महाकाव्य रामायण के मनोरम दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं।

कलात्मक प्रतिभा: काकतीय पेंटिंग कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करती हैं, जिसमें कुछ रेखाचित्र और रूपरेखाएं तत्वों के संपर्क में आने के बावजूद जीवित रहती हैं।

हनुमान चित्रण: भित्तिचित्रों में संजीवनी पहाड़ी ले जाते हुए हनुमान का एक भव्य रेखाचित्र और दिव्य भेंट मुद्रा में हनुमान का एक और अनूठा चित्रण है।

सह-अस्तित्व: काकतीय काल की रामायण आकृतियाँ मध्यपाषाण युगीन चित्रों के साथ सह-अस्तित्व में हैं, जो इस स्थल की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं।

जीएम सरसों

संदर्भ: हाल ही में, भारत में पर्यावरणविद् सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय की आनुवंशिक रूप से संशोधित शाकनाशी-सहिष्णु सरसों का विरोध कर रहे हैं।

जीएम सरसों क्या है?

जीएम सरसों दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आनुवंशिक रूप से संशोधित शाकनाशी-सहिष्णु (एचटी) फसल है। इसे शाकनाशी ग्लूफ़ोसिनेट का सामना करने के लिए बदल दिया गया है, जिससे किसानों को सरसों को छोड़कर सभी पौधों को मारने के लिए शाकनाशी का छिड़काव करने की अनुमति मिलती है, जिससे अधिक पैदावार होती है।

भारत में विवाद: जीएम सरसों भारत में जोरदार बहस का विषय रही है, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं और किसानों ने इसकी सुरक्षा, प्रभावकारिता और आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।

	नियामक परीक्षण: संसद की दो स्थायी समितियों और एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने नियामक प्रणाली में प्रमुख कमजोरियों को उजागर किया है और इसके जारी होने से पहले जीएम भोजन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने का आह्वान किया है। **चिंताएँ:** आलोचक संभावित पर्यावरणीय जोखिमों, ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव और संधारणीय कृषि पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। **सरकार का रुख:** विरोध और नियामक सिफारिशों के बावजूद, भारत सरकार जीएम सरसों की मंजूरी पर जोर दे रही है। **जीईएसी:** जीईएसी (जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति) MoEFCC के तहत एक भारतीय नियामक संस्था है। यह 1989 में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए जीएम फसलों सहित आनुवंशिक रूप से संसाधित जीवों के प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है।
धन शोधन निवारण अधिनियम 	**संदर्भ:** हाल ही में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। **धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है?** धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटना है। **कानूनी ढांचा:** अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसके प्रावधानों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बाद के वर्षों में इसमें संशोधन किया गया। **प्रवर्तन एजेंसी:** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक प्रवर्तन एजेंसी है। **शामिल किए गए अपराध:** पीएमएलए में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें भारतीय दंड संहिता, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा विभिन्न आर्थिक और वित्तीय कानूनों के अपराध शामिल हैं। **रिपोर्टिंग संस्थाएँ:** बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों सहित विभिन्न संस्थाओं को रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक "रिपोर्टिंग संस्थाओं" के रूप में नामित किया गया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने इस्तीफा दे दिया है। **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है?** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। **उद्देश्य:** एनसीएससी का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। **संरचना:** एनसीएससी में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। **कार्य:** आयोग अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षा उपायों और संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और समुदायों की विशिष्ट शिकायतों की भी जांच करता है। **शक्तियां:** एनसीएससी के पास शिकायतों की जांच करते समय एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। यह अपने कार्यों को पूरा करने के लिए गवाहों को बुला सकता है, सबूतों की जांच कर सकता है और दस्तावेजों का अनुरोध कर सकता है।
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल 	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया। **सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?** सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल चार सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसका लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उनका पैसा वापस करना है। **ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया:** पोर्टल 5000 करोड़ रुपये तक के शुरुआती वितरण के साथ जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक जमाकर्ता पहले चरण में 10,000 रुपये तक का दावा कर सकता है। संपूर्ण रिफंड प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। **जमाकर्ताओं की संख्या:** लगभग 4 करोड़ जमाकर्ता पोर्टल के माध्यम से 10,000 रुपये तक के रिफंड का दावा करने के पात्र हैं।

रेडियो कॉलर

संदर्भ: हाल ही में, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुन:प्रवेश परियोजना में, रेडियो कॉलर के कारण गर्दन के घावों के कारण होने वाले संदिग्ध सेप्टीसीमिया से दो चीतों की मृत्यु हो गई।

रेडियो कॉलर:

रेडियो कॉलर एक ट्रैकिंग उपकरण है जो वन्यजीव जानवरों की गतिविधियों और व्यवहार पर नज़र रखने के लिए उनकी गर्दन या शरीर से जुड़े एक रेडियो ट्रांसमीटर से सुसज्जित है।

उद्देश्य: रेडियो कॉलर का उपयोग पारिस्थितिक और वन्यजीव अनुसंधान में पशु प्रवासन पैटर्न, आवास उपयोग और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

डेटा संग्रह: रेडियो ट्रांसमीटर शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त संकेतों को प्रेषित करता है, जिससे उन्हें जानवरों के स्थान को ट्रैक करने और दूर से मूल्यवान डेटा एकत्र करने में मदद मिलती है।

प्रकार: विभिन्न प्रकार के रेडियो कॉलर हैं, जिनमें वीएचएफ (बहुत उच्च आवृत्ति) और जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) कॉलर शामिल हैं, प्रत्येक की अलग-अलग ट्रैकिंग क्षमताएं हैं।

वन्यजीव संरक्षण: रेडियो कॉलर के माध्यम से प्राप्त जानकारी जानवरों की आबादी को समझने, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों में योगदान करने में सहायता करती है।

पोम्पेई का पता लगाना

संदर्भ: पोम्पेई पुरातत्व पार्क में हाल की खुदाई में अनोखी कलाकृतियाँ मिली हैं, जिनमें साँपों से सजी एक रसोई मंदिर, एक बेकरी, मानव कंकाल और उत्कृष्ट भित्तिचित्र शामिल हैं।

पोम्पेई: पोम्पेई, नेपल्स की खाड़ी के किनारे दक्षिणी इटली के कैम्पानिया क्षेत्र में एक रोमन शहर है, जो 2,000 साल पहले 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी की राख में दब गया था।

प्राचीन रोम: 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस द्वारा नष्ट किया गया पोम्पेई, एक खोई हुई रोमन दुनिया की एक अनूठी झलक पेश करता है, जिसमें शहर का एक तिहाई हिस्सा अभी भी खोदा नहीं गया है।

फ्रेस्को डिस्कवरी: एक फ्रेस्को जिसमें गोल फ्लैटब्रेड को दर्शाया गया है, जो पिज़्ज़ा जैसा दिखता है, फलों से घिरा हुआ है, लेकिन यह पिज़्ज़ा नहीं है जैसा कि हम प्राचीन रोम में टमाटर और मोज़ेरेला की अनुपस्थिति के कारण जानते हैं।

मानव त्रासदी: पोम्पेई की खुदाई से ज्वालामुखी विस्फोट की मानवीय त्रासदी का पता चलता है, जिसमें पीड़ितों के सीढ़ियों के नीचे शरण लेने और छत गिरने एवं आग लगने से हुई मौतों के साक्ष्य मिलते हैं।

पौराणिक कलाकृति: पौराणिक प्रसंगों को चित्रित करने वाले आश्चर्यजनक भित्तिचित्र, जैसे कि एक महिला के रूप में अकिलिस का भेष और अच्छे राक्षसों के प्रतीक के रूप में नागों के साथ एक विस्तृत रसोई मंदिर, को उजागर किया गया है।

संरक्षण के उपाय: नई खोजी गई कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षात्मक छत और मचान बनाए जा रहे हैं, जबकि भविष्य की योजनाओं में कलाकृतियों को देखने के लिए पर्यटकों के लिए एक पैदल मार्ग शामिल है।

समाचार में स्थान

ओडेसा का बंदरगाह

संदर्भ: हाल ही में, क्रीमिया के पुल पर यूक्रेन के हमले के प्रतिशोध में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हमला किया।

भौगोलिक स्थिति: ओडेसा का बंदरगाह यूक्रेन के दक्षिणी भाग में काला सागर के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख शहर ओडेसा में स्थित है।

महत्व: यह काला सागर क्षेत्र के सबसे बड़े और व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापार और समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है।

कनेक्टिविटी: बंदरगाह रेलवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो समुद्री मार्गों और जमीनी परिवहन के बीच माल के कुशल परिवहन को सक्षम बनाता है।

परिवहन केंद्र: चॉर्नोमोर्स्क और युज़ने के उप बंदरगाहों के साथ, यह यूक्रेन के लिए एक प्रमुख माल और यात्री परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

आर्थिक महत्व: बंदरगाह अनाज, तेल, कोयला और कंटेनर सहित विभिन्न वस्तुओं के परिवहन हो आसान बनाता है, जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।